न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	02/2025
दायर दिनांक	:	03.02.2025
निर्णय दिनांक	:	28.05.2025

1. राजेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति कीर, निवासी बावडीपाडा वाटर वर्क्स के पीछे कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा
2. महेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति कीर, निवासी बावडीपाडा वाटर वर्क्स के पीछे कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा
3. महेश पुत्र बाबूलाल जाति कीर, निवासी बावडीपाडा वाटर वर्क्स के पीछे कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा
4. विजय पुत्र बाबूलाल जाति कीर, निवासी बावडीपाडा वाटर वर्क्स के पीछे कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा
5. छोटू पुत्र बाबूलाल जाति कीर, निवासी बावडीपाडा वाटर वर्क्स के पीछे कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा
6. सुनीता पुत्री बाबूलाल जाति कीर, निवासी बावडीपाडा वाटर वर्क्स के पीछे कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा
7. पूनी देवी पत्नी स्व. बाबूलाल जाति कीर, निवासी बावडीपाडा वाटर वर्क्स के पीछे कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा

प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र रामपाल जाति कीर, निवासी बावडीपाडा वाटर वर्क्स के पीछे कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा
2. प्रहलाद पुत्र रामपाल जाति कीर, निवासी बावडीपाडा वाटर वर्क्स के पीछे कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा
3. लोकेश पुत्र किशनलाल जाति कीर, निवासी बावडीपाडा वाटर वर्क्स के पीछे कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा
4. टिंकू पुत्र किशनलाल जाति कीर, निवासी बावडीपाडा वाटर वर्क्स के पीछे कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा
5. सीमा पुत्री किशनलाल जाति कीर, निवासी बावडीपाडा वाटर वर्क्स के पीछे कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा
6. पिंकी पुत्री किशनलाल जाति कीर, निवासी बावडीपाडा वाटर वर्क्स के पीछे कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा
7. गीता पत्नी किशनलाल जाति कीर, निवासी बावडीपाडा वाटर वर्क्स के पीछे कस्बा दौसा तहसील व जिला दौसा
8. दाखा पुत्री रामपाल पत्नी हनुमान जाति कीर, निवासी तेलीहाला की ढाणी कालेड समरा तहसील अलवर जिला अलवर
9. कौशल्या पुत्री रामप्राल पत्नी रामजीलाल जाति कीर, निवासी नारोली [illegible] पोटरा तहसील बोली जिला सवाईमाधोपुर
10. संज्या पुत्री रामपाल पत्नी पप्पू जाति कीर, निवासी कोटडा बास परसा तहसील बोली जिला सवाईमाधोपुर
11. चौथी पुत्री रामपाल पत्नी लल्लू जाति कीर, निवासी ग्राम लवाण तहसील लवाण जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:42:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या : 02/2025
राजेन्द्र वगै. बनाम सत्यनारायण वगै.
निर्णय दिनांक : 28.05.2025

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
13. उपपंजीयक दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है :—

रामपाल पुत्र सुखदेव

बाबूलाल (फौत) सत्यनारायण किशनलाल (फौत) प्रहलाद दाखा कौशल्या संज्या चौथी

(किशनलाल) — लोकेश टिंकू सीमा पिंकी गीता

(बाबूलाल) — राजेन्द्र महेन्द्र महेश विजय छोटू सुनीता पूनी

भूमि खसर नम्बर 2291/1 रकबा 0.04 है. नहरी दौसा कलां में स्थित है जिसकी खातेदारी रामपाल पुत्र सुखदेवा कीर के नाम दर्ज है जो प्रार्थी अप्रार्थीगण के पिता, पितामह, ससुर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण खातेदार रामपाल पुत्र सुखेदव के वारिसान है। रामपाल की मृत्यु 19.04.2015 को हो चुकी है। रामपाल के जीवनकाल से ही प्रार्थीगण के पिता, पति बाबूलाल अपने हक हिस्से मुताबिक भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा 1/8 है। उक्त भूमि का तकास्मा विधिवत् रूप से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य नहीं हुआ है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को अनेकों बार आराजीयात का विधिवत् रूप से हिस्से अनुसार तकास्मा करने को कहा परन्तु वो टालमटोल करते रहे अब दिनांक 28.01.2025 को अप्रार्थीगण ने तकास्मा कराने से इंकार कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो उक्त भूमि के किसी भी हिस्से को रहनबय, हस्तान्तरण नहीं करें। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे तथा भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति तकास्मा होने तक यथावत् बनाये रखें। अप्रार्थी संख्या 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमावें कि वे उपरोक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति तकास्मा होने तक यथावत् बनाये रखें तथा अप्रार्थी संख्या 13 उक्त भूमि का कोई भी रहनबय व हस्तान्तरण का प्रलेख पेश होने पर उसका पंजीयन नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1, 9, 10 की ओर से अधिवक्ता श्री मलखान सिंह गुर्जर ने पावर पेश किया। बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8, 11 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1, 9, 10 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के जरिये चाहे गये अनुतोष के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है :—

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:42:41 IST
Reason: SelfAttested

1. **प्रथम दृष्ट्या मामला** : पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार सम्वत् 2072–2075 (वर्ष 2019 से स्थायी) का अवलोकन करने पर ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 2291/1 रकबा 0.04 है. की खातेदारी रामपाल पुत्र सुखदेव जाति कीर के नाम दर्ज होने की पुष्टि होती है। प्रार्थीगण का कथन है कि रामपाल की मृत्यु हो चुकी है एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 रामपाल के वारिसान हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पर विश्वास किया जावे तो प्रथम दृष्टया प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की पैतृक आराजी होना प्रतीत होती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर किसी भी पक्षकार ने आपत्ति जाहिर नहीं की है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 11 दोनो के पक्ष में साबित होता है।
2. **सुविधा का सन्तुलन** : प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान में रामपाल पुत्र सुखदेव जाति कीर के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि रामपाल की मृत्यु हो चुकी है एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 रामपाल के वारिसान है। अतः सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 11 दोनो के पक्ष में साबित होता है।
3. **अपूर्णीय क्षति** : प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के पक्ष में निर्धारित किया जाता है।

अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को प्रकरण से संबंधित दावा पत्रावली के निस्तारण तक ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 2291/1 रकबा 0.04 है. के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी * उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:42:41 IST
Reason: SelfAttested